# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 92/2025 बउनवानी सरोज कुमार मीना बनाम तहसीलदार वजीरपुर
निवासी एच.एन.–1,ए–14 न्यू हाउसिंग बोर्ड फेज–2,खोडा गणेशजी रोड किशनगढ अजमेर
GCMS No-2025/ 245

**Appeal Number- 321817809261593**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं व अहलकार जो हुकम की तामील में जारी हुआ |
|---|---|---|
| 16.9.2025 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"ग्राम किशोरपुरा के दोलतराम, रामधन, तेजराम मीना, पुत्रान श्रीचन्द मीना के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिये गये आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्राप्ति विवरण नाम,पता की प्रमाणित सूचना"* तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/97 दिनांक 3.9.2025 एवं पत्रांक 829 दिनांक 12.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना प्रश्नात्मक होने एवं पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही सूचना का संबंध ग्राम पंचायत से होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा प्रमाण पत्र का क्रमांक दिनांक इत्यादि अंकित नही होने व चाही गयी सूचना का संबंध ग्राम पंचायत से होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है किन्तु यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब चाही गयी सूचना का संबंध ग्राम पंचायत से था तो लोक सूचना अधिकारी को अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) मे अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी,सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति सजग नही है ओर ऑन लाईन पोर्टल भी अपडेट नही है। ऐसी स्थिति मे लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत ऑनलाईन पोर्टल एवं ऑफ लाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्राथमिकता से अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियत समयावधि में निस्तारण किया जावे। अपीलान्ट उक्त सूचना के लिए पूर्ण विवरण के साथ संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नये सिरे से आवेदन पेश कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज सुनाया गयी।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Kana Ram<br>Date: 2025.10.21 15:35:32 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>( काना राम )<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर | |

Scanned with OKEN Scanner